103

संख्या- 1210 /एक-10-2024-33(36)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया, बदायूं, बांदा, सीतापुर, चन्दौली, सम्भल, रामपुर, बाराबंकी एवं अम्बेडकर नगर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 19 जुलाई, 2024

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गंस रिसाव, बोरवेल में गिरने को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 340.00 लाख (रू0 तीन करोड़ चालीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के समुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

| क्र0 | जनपद का नाम | मद-09 | स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रू0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | बलिया (वित्तीय वर्ष 2024-25) | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 2000000.00 |
| 2 | बदायूं (वित्तीय वर्ष 2024-25) | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 5000000.00 |
| 3 | बांदा(वित्तीय वर्ष 2024-25) | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 1000000.00 |
| 4 | सीतापुर (वित्तीय वर्ष 2024-25) | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 5000000.00 |
| 5 | चंदौली (वित्तीय वर्ष 2024-25) | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 1000000.00 |
| 6 | सम्भल (वित्तीय वर्ष 2024-25) | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 5000000.00 |
| 7 | रामपुर (वित्तीय वर्ष 2024-25) | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 3000000.00 |
| 8 | बाराबंकी (वित्तीय वर्ष 2024-25) | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 10000000.00 |
| 9 | अम्बेडकरनगर (वित्तीय वर्ष 2024-25) | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 2000000.00 |
| योग | | | 34000000.00 |

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि

का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है।

अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 340.00 लाख (रू0 तीन करोड़ चालीस लाख मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ram Kewal
Date: 18-07-2024 16:49:25

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-1210 (1)/एक-10-2024, तद्दिनांक ।

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2024-2025**
**आवंटन दिनांक-23/07/2024**

**प्रेषण संख्या:-** 1210
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-1210
**अनुदान संख्या:-** 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 42-अन्य व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>21000000 | 5000000<br>21000000 |
| 2 | रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 3000000<br>3000000 | 3000000<br>3000000 |
| 3 | बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 1000000<br>24900000 | 1000000<br>24900000 |
| 4 | बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 2000000<br>24000000 | 2000000<br>24000000 |
| 5 | सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>31000000 | 5000000<br>31000000 |
| 6 | बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 10000000<br>36000000 | 10000000<br>36000000 |
| 7 | अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 2000000<br>16500000 | 2000000<br>16500000 |
| 8 | चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 1000000<br>11000000 | 1000000<br>11000000 |
| 9 | सम्बल-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>12600000 | 5000000<br>12600000 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 34000000<br>180000000 | 34000000<br>180000000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चालीस लाख
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह करोड़

(संतोष कुमार)
**वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी**
( संतोष कुमार )
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।